

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 102]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 13 मार्च 2013—फाल्गुन 22, शक 1934

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 मार्च 2013

अधिसूचना क्र. 47-एफ-1-32-2011-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 19 की उपधारा (1) के खण्ड-ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, निम्नलिखित नगर परिषद् में उनके नाम के सामने अंकित व्यक्तियों को वर्तमान परिषद् के सहविस्तारी कार्यकाल या राज्य शासन के अन्य आदेश तक, जो भी पहले हो तक, एल्डरमेन के रूप में नामनिर्दिष्ट करता है :—

क्र. (1)	नगर परिषद् का नाम (2)	एल्डरमेनों का नाम एवं पता (3)
1	नगर परिषद्, सोहागपुर, जिला होशंगाबाद	1. श्री भूपेन्द्र दुबे, मु. पो. सोहागपुर, जिला होशंगाबाद 2. श्री रामस्वरूप नागवंशी, मु. पो. सोहागपुर, जिला होशंगाबाद
2	नगर परिषद्, बाबई, जिला होशंगाबाद	1. श्री शैलेन्द्र कुमार दुबे, एस.टी.डी. मंगलवारा रोड बाबई, जिला होशंगाबाद 2. श्री घुड़मल यादव, वार्ड-5, कुठारिया बाबई, जिला होशंगाबाद

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, उपसचिव.